



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032023-244744
CG-DL-E-29032023-244744

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]
No. 188]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2023/चैत्र 8, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2023/CHAITRA 8, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 मार्च, 2023

सा.का.नि. 230(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सहायक प्रवर्तन निदेशक, समूह 'क' पद भर्ती नियम 2020 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सहायक प्रवर्तन निदेशक, समूह 'क' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 हैं।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सहायक प्रवर्तन निदेशक, समूह 'क' पद भर्ती नियम 2020 में, अनुसूची में, स्तंभ (13) में, प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"टिप्पण:- 13 फरवरी, 2023 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।"

[के-11022/74/2021- एडी. ईडी]

संदीप गहलोत, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में संख्या सा.का.नि. 291(अ), तारीख 12 मई 2020 द्वारा प्रकाशित किये गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2023

G.S.R. 230(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Assistant Director of Enforcement, Group 'A' post, Recruitment Rules, 2020, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Assistant Director of Enforcement, Group 'A' post, Recruitment (Amendment) Rules, 2023.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Assistant Director of Enforcement, Group 'A' post, Recruitment Rules, 2020, in the Schedule, in Column (13), after the entries, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note:- Consultation with the Union Public Service Commission not necessary while appointing an officer on deputation basis for a period of one year with effect from 13th February, 2023."

[K-11022/74/2021-Ad.ED]

SANDEEP GAHLOT, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India under Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 291(E) dated the 12th May 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2023

सा.का.नि. 231(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, उप निदेशक प्रवर्तन, समूह 'क' पद भर्ती नियम 2020 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, उप निदेशक प्रवर्तन, समूह 'क' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 हैं।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, उप निदेशक प्रवर्तन, समूह 'क' पद भर्ती नियम 2020 में, अनुसूची में, स्तंभ (13) में, प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"टिप्पण:- 13 फरवरी, 2023 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।"

[के-11022/74/2021- एडी. ईडी]

संदीप गहलोत, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में संख्या सा.का.नि. 368(अ), तारीख 10 जून 2020 द्वारा प्रकाशित किये गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2023

G.S.R. 231(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Deputy Director of Enforcement, Group 'A' post, Recruitment Rules, 2020, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Deputy Director of Enforcement, Group 'A' post, Recruitment (Amendment) Rules, 2023.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Deputy Director of Enforcement, Group 'A' post, Recruitment Rules, 2020, in the Schedule, in Column (13), after the entries, the following Note shall be inserted, namely:-

“Note:- Consultation with the Union Public Service Commission not necessary while appointing an officer on deputation basis for a period of one year with effect from 13th February, 2023.”

[K-11022/74/2021-Ad.ED]

SANDEEP GAHLOT, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India under Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 368(E) dated the 10th June 2020.